

लोकअदालत

सत्र-2019

मदस्त सं०:-

आदेश फलक :-

विधिवादा सं०

484/2017

दंड प्र० सं० 107

सरीता देवी +। <sup>बेनाम</sup> विनय यादव

वाद लम्बित अन्तर्गत न्यायालय

अनुमंडल दंडाधिकारी मैदानी मारस

वाद की तिथि

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।  
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष  
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतित होता है कि दोनों  
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न  
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतित होता है । अतः  
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक  
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।

*General*  
सदस्य  
23.02.019

*[Signature]*  
सदस्य